

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-20/2016-62 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/ बक्सर /रोहतास/कैमुर (भमुआ)
/गया/जहानाबाद /अरवल/नवादा/औरंगाबाद / सारण /सिवान/ गोपालगंज/
मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण /प० चम्पारण/ सीतामढ़ी / शिवहर /वैशाली/ दरभंगा
/मधुबनी /समस्तीपुर /बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई/ भागलपुर/
बाँका/सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ किशनगंज/ अररिया /कटिहार /
खगड़िया।

विषय :

वर्ष 2016-17 हेतु मुख्य मंत्री तीव्र विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट
योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में 4206.50 लाख रु० (बेयालीस करोड़ छः
लाख पचास हजार रु०) की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से सामान्य
वर्ग के लिए 3281.070 लाख रु० (बत्तीस करोड़ एकासी लाख सात हजार रु०) मात्र की
निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹32,81,07,000 (बत्तीस करोड़
एकासी लाख सात हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3227 दिनांक-22.07.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु
मुख्य मंत्री तीव्र विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में
4206.50 लाख रु० (बेयालीस करोड़ छः लाख पचास हजार रु०) की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना
से सामान्य वर्ग के लिए 3281.070 लाख रु० (बत्तीस करोड़ एकासी लाख सात हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय
की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹32,81,07,000 (बत्तीस करोड़ एकासी लाख सात हजार रु०) मात्र की राशि
संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

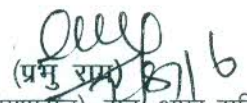
2. उपरोक्त ₹32,81,07,000 (बत्तीस करोड़ एकासी लाख सात हजार रु०) मात्र का व्यय बजट
शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-103-बीज -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0109-बीज गुणन
फार्मों का विस्तार, खेती पर व्यय-विपत्र कोड-P2401001030109, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5682
विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2)
दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया
जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध
करा दी जाय।

विश्वासभाजन


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक
प्रेषित।

62(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

62(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/निदेशक बिहार प्रमाणन एजेंसी बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण कोषांग कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी बीज ग्राम योजना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

62(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

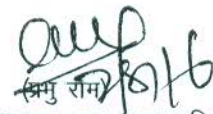
मुख्य मंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3227 दिनांक-22.07.2016 द्वारा सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401001030109

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	1,15,72,000	1,15,72,000
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	86,71,000	86,71,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	79,85,000	79,85,000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	66,97,000	66,97,000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	83,12,000	83,12,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ।	78,87,000	78,87,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	1,04,50,000	1,04,50,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	31,17,000	31,17,000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	15,06,000	15,06,000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	65,12,000	65,12,000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	1,20,44,000	1,20,44,000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	1,83,39,000	1,83,39,000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	1,03,83,000	1,03,83,000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	1,28,42,000	1,28,42,000
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	2,53,55,000	2,53,55,000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	89,82,000	89,82,000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	73,21,000	73,21,000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	1,27,14,000	1,27,14,000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	47,15,000	47,15,000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	1,21,70,000	1,21,70,000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	1,05,23,000	1,05,23,000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	1,18,48,000	1,18,48,000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	1,06,67,000	1,06,67,000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय।	90,70,000	90,70,000
25	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	29,88,000	29,88,000
26	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	36,22,000	36,22,000
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	16,34,000	16,34,000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	66,77,000	66,77,000
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	76,64,000	76,64,000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	86,31,000	86,31,000
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	67,20,000	67,20,000
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	94,17,000	94,17,000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	76,24,000	76,24,000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	74,25,000	74,25,000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	48,70,000	48,70,000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	85,94,000	85,94,000
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	71,71,000	71,71,000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	53,88,000	53,88,000
	कुल	32,81,07,000	32,81,07,000

कुल- (बत्तीस करोड़ एकासी लाख सात हजार रु०) मात्र।


 निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।